

Title Deed of Properties

425. SH. NEERAJ SHARMA, M.L.A. : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the law under which the title deed of properties situated with in Lal Dora has been executed by Sarpanches in State ?

DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

After finalising the maps of *abadi deh* (Lal dora) under section 26 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act No.11 of 1994) and rule 14 of the Haryana Panchayati Raj Rules, 1995, the title deed of property deeds with in abadi deh, i.e. Lal Dora have been registered under section 17 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908) by the registering officers concerned.

सम्पत्तियों का स्वामित्व विलेख

425. श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए.: क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य में सरपंचों द्वारा लाल डोरे में स्थित सम्पत्तियों के स्वामित्व विलेख किस कानून के अधीन निष्पादित किये गये हैं ?

दुष्यन्त चौटाला, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम संख्या 11) की धारा 26 और हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 के नियम 14 के तहत आबादी देह (लाल डोरा) के नक्शे को अन्तिम रूप देने के बाद सम्पत्तियों के स्वामित्व विलेख को आबादी देह, यानि लाल डोरा के अन्दर सम्बन्धित पंजीकरण अधिकारियों द्वारा पंजीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 17 के तहत पंजीकरण किये गए हैं।